

अपर समाहर्ता का न्यायालय, रामगढ़।

विविध वाद संख्या-08/2025

बिरसा हंसदा बनाम जमीला बेगम

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

12/07/25 आवेदक बिरसा हंसदा, पिता-गुरु हंसदा, ग्राम-पुण्डी टोला भुताही, पो0-हेसागढ़ा, थाना-माण्डू, जिला-रामगढ़ के द्वारा मौजा-बदगाँव, खाता सं0-06, प्लॉट सं0-29, रकवा-11.75 डी0 भूमि, जिसकी जमाबंदी अंचल कार्यालय, माण्डू के पंजी-11 के भोल्युम नं0-04, पेज नं0-117 में जमीला बेगम, पति-वसीर अहमद के नाम से कायम है कि जमाबंदी Under section 9 of Bihar Board's Misc. Rules 1958 के तहत रद्द करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। भूमि की विवरणी निम्नवत है :-

क्र0 सं0	मौजा	थाना	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा (एकड़ में)
1	बदगाँव	माण्डू	06	29	0.1175
Total-					0.1175

संबंधित पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए वाद की सुनवाई प्रारम्भ की गई।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि मौजा बदगाँव, थाना माण्डू, थाना नं0 163, जिला रामगढ़ के खाता नं0 06 खतियानी भूमि है। खतियान में छोटका मांझी पिता मेघराम के नाम से दर्ज है। मौजा बदगाँव, थाना रामगढ़, जिला रामगढ़ के खाता नं0 06 का कुल रकवा 4.13 एकड़ भूमि है एवं उक्त खतियानी भूमि के प्लॉट सं0 80, 85, 218, 221, 224, 232, रकवा 4.13 एकड़ मध्ये रकवा 11.75 डी0 भूमि आवेदक एवं आवेदक के पुर्वज के द्वारा कभी भी बिक्री विपक्षी को नहीं किया गया है। मौजा बदगाँव का खाता सं0 06 में प्लॉट सं0 29 की भूमि विपक्षी या अन्य किसी व्यक्ति को आवेदक या आवेदक के पुर्वज द्वारा बिक्री नहीं की गई है। विपक्षीगण का नाम पंजी 2 में 11.75 डी0 भूमि पंजी 2 के पेज नं0 117 में अंकित है। इस प्रकार खाता सं0 06 की भूमि को अवैध रूप से जमाबंदी विपक्षी के नाम से कायम की गई है। विपक्षी को मौजा बदगाँव का खाता नं0 06 की भूमि पर पंजी 2 में से चल रही जमाबंदी को रद्द करते हुए आवेदक के नाम मालगुजारी निर्धारित कर उचित सलामी सलाना मालगुजारी अदा करने का आदेश पारित किया जाए। मौजा बदगाँव, थाना माण्डू, जिला रामगढ़ के खाता सं0 06 कुल रकवा 4.13 एकड़ मध्ये 11.75 डी0 भूमि पर जमाबंदी विपक्षी अवैध रूप से जालसाजी कर खोलवा लिए है। उनके नाम से खाता सं0 06, रकवा 11.75 डी0 भूमि का जमाबंदी पंजी 2 के पेज नं0 117 में विपक्षी का नाम दर्ज है जो जाली एवं बनावटी दस्तावेज के आधार पर कायम की गई

है। विपक्षी या विपक्षी के पूर्वज खाता नं० 06 रकबा 11.75 डी० भूमि पर उनलोगों को किसी तरह हक अधिकार या स्वत्व नहीं है, आवेदक या आवेदक के पूर्वज उक्त खाता की भूमि को कभी भी विपक्षी के पास बिक्री नहीं किए है। विपक्षी जाली दस्तावेज बना कर गलत तथ्यों के आधार प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी खोलवा लिए है, जो खारिज करने योग्य है। हाल सर्वे में प्रश्नगत खाता नं० 06, कुल रकबा 4 एकड़ 13 डी०, मध्ये 11.75 डी० भूमि का प्रारंभिक पर्चा विपक्षी के नाम से नहीं बनना इस बात का प्रतीक है कि विपक्षी के पास प्रश्नगत भूमि के बावत किसी प्रकार का वैध कागजात नहीं है। उपरोक्त तथ्यों से प्रमाणित होता है कि विपक्षी के नाम से पंजी 2 में चल रही जमाबंदी अवैध है।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा मौजा-बदगांव के खाता सं०-06, रकबा-11.75 डी० भूमि पर जमाबंदी पंजी-॥ के पेज सं०-117 में विपक्षी के नाम से चल रही जमाबंदी को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उपरोक्त वाद में उन्हें पक्षकार बनाया गया है तथा उन्हें नोटिस दिनांक 19/05/2025 को प्राप्त हुआ है। नोटिस में वर्णित मौजा बदगांव के खाता सं०-06, प्लॉट सं० 29, रकबा 11.75 डी० जमीन से संबंधित उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है और ना ही जमीन पर उनका कोई दखल-कब्जा है। माण्डू अंचल में उनके नाम से पंजी-॥ में 11.75 डी० जमीन दर्ज है इस संबंध में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उक्त भूमि की जमाबंदी को जमीन के असल स्वामी के नाम से जमाबंदी कायम करने से द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

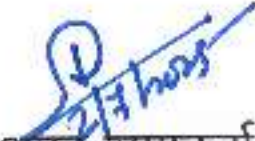
अंचल अधिकारी, माण्डू ने पत्रांक-844, दिनांक-12.06.2025 के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि विविध वाद सं०-08/2025 बिरसा हंसदा बनाम जमीला बेगम से संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मौजा बदगाँव, थाना सं०-163 के खाता सं०-06, प्लॉट सं०-80, 85, 218, 221, 224, 232, कुल रकबा-4.13 ए० भूमि सर्वे खतियान में छोटका मांझी कौम शौताल दर्ज है। ऑफलाईन जमाबंदी कायम नहीं है। ऑनलाईन पंजी-॥ के पृ० सं०-117/IV पर खाता सं०-6, रकबा-11.75 ए० भूमि की जमाबंदी जमीला खातुन के नाम से कायम है। वर्तमान में भूमि खाली एवं परती है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी, माण्डू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा बदगाँव, थाना सं०-163 के खाता सं०-06, प्लॉट सं०-80, 85, 218, 221, 224, 232, कुल रकबा-4.13 ए० भूमि सर्वे खतियान में छोटका मांझी कौम शौताल दर्ज है। ऑफलाईन जमाबंदी कायम नहीं है। ऑनलाईन पंजी-॥ के पृ० सं०-117/IV पर खाता सं०-6, रकबा-11.75 ए० भूमि की जमाबंदी जमीला खातुन के नाम से कायम है। वर्तमान में भूमि खाली एवं परती है। द्वितीय पक्ष के द्वारा कहा गया है कि उनके पास उक्त भूमि से संबंधित कोई कागजात नहीं है तथा उक्त भूमि

की जमाबंदी के असल स्वामी के नाम से जमाबंदी कायम करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अंचल अधिकारी, माण्डू के प्रतिवेदन के अनुसार मौजा बदगाँव, थाना सं०-163 के खाता सं०-06, प्लॉट सं०-80, 85, 218, 221, 224, 232, कुल रकबा-4.13 ए० भूमि सर्वे खतियान में छोटका मांझी कौम शौताल दर्ज है, जो आदिवासी खाते की भूमि है। उक्त भूमि बिना उपायुक्त के परमिशन से किसी को हस्तांतरित नहीं हो सकती। साथ ही आदिवासी भूमि की जमाबंदी बिना उपायुक्त के परमिशन से कायम नहीं हो सकती। अतः उक्त के आलोक में उपरोक्त जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य एवं अंचल अधिकारी, माण्डू से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में मौजा बदगाँव के खाता सं०-06 का ऑनलाईन पंजी-11 के पृ० सं०-117/IV पर कायम जमाबंदी को रद्द करते हुए आवेदक के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। इसके साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। पारित आदेश की प्रति अनुपालनार्थ अंचल अधिकारी, माण्डू को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।


 अपर समाहर्ता,
 रामगढ़।


 अपर समाहर्ता,
 रामगढ़।